

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 320] No. 320] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2009/माघ 30, 1930

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2009/MAGHA 30, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2009

का.आ. 510(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड--44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 15 सितम्बर, 2008 की का.आ. सं. 2193(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपित्तयां/सुझाव आमंत्रित किए गए न

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में केवल एक आपित /सुझाव प्राप्त हुआ था। यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 3. अत:, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्निखित संशोधन करती है :--- संशोधन :

चाणक्य पुरी स्थित 0.9666 हेक्टेयर माप वाले क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है:—

| स्थान | क्षेत्रफल | भू-उपयोग (एमपीडी-2021) | परिवर्तित भू-उपयोग | सीमाएं |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| जोन-"डी " में चाणक्य पुरी | 0.9666 हेक्टेयर | रिहायशी (विदेशी मिशन) | सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक सुविधाएं (सामाजिक- सांस्कृतिक) | पूर्व :मौजूदा रोड और यूएई दूतावास पश्चिम: 24.38 मी. चौडा मौजूदा रोड उत्तर: रूसी दूतावास दक्षिण: बुल्गारिया दूतावास |

[सं. के.-13011/13/2007-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2009

S.O. 510(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2193(E) dated 15th September, 2008 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said Public Notice.

- 2. Whereas only one objection/suggestion was received and the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi–2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of an area measuring 0,9666 ha. at Chanakya Puri is changed as per description listed below :-

| Location | Area | Land use (MPD-2021) | Land use changed to | Boundaries |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Chanakya Puri in Zone -D | 0.9666 ha. | Residential (Foreign Mission) | Public and Semi-Public Facilities (Socio-Cultural) | East: Existing road and Embassy of UAE West: 24.38m wide existing road North: Embassy of Russia South: Embassy of Bulgaria |

[No. K-13011/13/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.